

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर—कन्धार—पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण।

प्रतिवेदन

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1779/ 2015 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 428/111(2)/16-14(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 23.01.2016 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर—कन्धार—पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण 6.00 कि.मी. लम्बाई + 24मी0 विस्तार सेतु हेतु रु0 80.04 लाख की (प्रथम चरण— यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यो हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग वास्तविक सर्वे के अनुसार लम्बाई 5.00 किमी0 आती है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर का लगभग 10 कि0मी0 में फैला ग्राम पंचायत सिरकोट एवं परकोटी क्षेत्र दूरस्थ मे होने से यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। वन क्षेत्र के मध्य में स्थित ग्राम सिरकोट, परकोटी, रैतोली एवं सिरकोट के तोक तल्लाधार की कुल (जनसंख्या (1857) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। वन क्षेत्र के निकट का ग्राम होने एवं यातायात की सुविधा के अभाव में स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता हैं। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को परिवहन एवं यातायात की सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में भी मदद मिलेगी। ग्राम परकोटी एवं सिरकोट में प्राइमरी विद्यालय हैं, आने जाने की कठिनाई के कारण कोई भी अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी योगदान नहीं करना चाहते जिससे प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य व्यवसाय का मुख्य केन्द्र गलई एवं ग्वालदम हैं। मोटर मार्ग निर्माण होने से बच्चों को विद्यालय आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 2.760 है0 वन भूमि एवं विभिन्न प्रजाति एवं व्यास के कुल 21 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते हैं। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5-6 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू-भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:20000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं० 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण अल्मोड़ा-बागेश्वर-ग्वालदम-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के किमी० 71 कन्धार नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण लम्बाई में आरक्षित, सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैंड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं० 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण प्रथम संरेखण के अनुसार ही रखा गया है जिसमें अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानकों के अनुसार ग्रेड न मिलने एवं भूस्खलन क्षेत्र होने से भूवैज्ञानिक द्वारा इसे निरस्त किया गया है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 5.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 2.76 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 21 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड लो० नि० वि०
बागेश्वर नि० वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड लो० नि० वि०
बागेश्वर नि० वि०
बागेश्वर